

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 28/04/26 को घोषित)

- 1— आरोपी ने आरोप स्वीकार किया है। अतः उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा- 36-बी म.प्र.आबकारी अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 2— प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
- 3— आरोपी के विरुद्ध अभियोजन की ओर से पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः आरोपी को धारा-36-बी म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को 500/- रुपये (शब्दों में पाँच सौ रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।
- 4— प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल मूल्यहीन होने के कारण अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

स्थान :- इटारसी
दिनांक:- 28/04/26

मेरे बोलने पर टंकित किया

(आयुषी गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इटारसी, जिला नर्मदापुरम म.प्र.